कार्यालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/06/2020

शेलेन्द्र शर्मा ,निवासी एस–14 नारायण विहार

गोपालपुरा बाईपास टोंक रोड जयपुर।

बनाम

तहसीलदार बयाना

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 06.02.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट शेलेन्द्र शर्मा निवासी ,एस–14 नारायण विहार गोपालपुरा बाईपास टोंक रोड जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 24.11.2019 के द्वारा तहसीलदार बयाना से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार बयाना द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/28 दिनांक 09.01.2020 से तहसीलदार बयाना से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त जबाब क्रमांक 68 दिनांक 04.02.2020 को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार बयाना ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार बयाना से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार बयाना से प्राप्त जबाब क्रमांक 68 दिनांक 04.02.2020 का अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक नं0 43 दिनांक 23.01.2020 की प्रति भिजवाई गई है।

अपीलांट को रेस्पो ने सम्पूर्ण सूचनाऐं भिजवाई गई हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को प्रेषित की जावे ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.02.14 12:17:46 IST
Reason: SelfAttested